केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00062
CICOM/R/P/20/00172

अपीलकर्ता : श्री बिरपाल सिंह
पता - कैतवाड़ा, ज्वालापुर
हरिद्वार, उत्तराखंड ।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.03.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.06.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीताराम मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.07.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	17.08.2020
निर्णय की तारीख	01.09.2020

मांगी गई सूचना

1. आयोग के आदेश सं. CIC/SG/A/2012/000976 + 001158 के संदर्भ में अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी:.

"सूचनार्थी अस्वीकार करता है कि OBC बैंक ने केन्द्रीय केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं किया है । CIC ने किस आधार/सबूत से मान लिया कि उक्त बैंक ने CIC के आदेश का पालन कर दिया है । उस आधार/सबूत की सूचना प्रदान करने की कृपा करें"

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. सीताराम मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2020 के पत्र सं. CICOM-R-P-20-00172-SC-165 के साथ ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के दिनांक 16.03.2015 के पत्र सहित कुल 10 पृष्ठों की सूचना संलग्नक के रूप में अपीलकर्ता को प्रेषित की गई है ।

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - "संचिका सं. CICOM-R-P-20-00172-SC-165 द्वारा सूचना मुहैया करा दी गई । प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने के कारण यह प्रथम विभागीय अपील प्रस्तुत की जा रही है" तथा अनुरोध किया है कि "अपीलार्थी को दिनांक 05.03.2020 के आवेदन की सूचना अविलम्ब मुहैया काराने की मालूक कृपा करें" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 05.03.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. सीताराम मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM-R-P-20-00172-SC-165 के माध्यम से प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ही है, अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

C.I.C./के. सू. आ.
RECEIVED
02 SEP 2020
D. No.......
Initials.......

o/c

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 01 सितम्बर, 2020

मीना शर्मा 01/09/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. सीताराम मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC (SC), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

02/09/20

2.9.2020